राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर

कोर्स रिपोर्ट

"साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर"

Date 04-07-2023 to 06-07-2023 Course No. 51, Under CCPWC Project

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार मिनिस्ट्री ऑफ हॉम अफेयर्स द्वारा प्रायोजित सीसीपीडब्ल्यूसी स्कीम के तहत "साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर पुलिस ऑफिसर" विषय पर दिनांक 04-07-2023 से 06-07-2023 तक कोर्स आयोजित किया गया।

RAJASTHAN POLICE ACADEMY

"Course on Cyber Crime Awareness For Police Officers" Under CCPWC Scheme

04-07-2023 to 06-07-2023

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ श्री कैलाश चन्द, उप महानिरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा किया गया। श्रीमान द्वारा उदबोधन में साइबर क्राइम के बढते अपराधों तथा उनके रोकथाम व जागरूकता के संबंध में जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण पूर्व सभी प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन किया गया। साथ ही प्री कोर्स मूल्यांकन परीक्षा ली गयी।

मुझ कोर्स निदेशक यतीन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, आरपीए तथा सहायक कोर्स निदेशक श्री अशोक कुमार, उप निरीक्षक, आरपीए द्वारा कोर्स का सफल आयोजन करवाया गया। इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 22 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें 02 उप-निरीक्षक, 07 सहायक उप-निरीक्षक, 13 मुख्य आरक्षी रैंक के अधिकारी शामिल हुए।

सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने पर हैण्डसऑन अभ्यास के लिए एक पेन ड्राईव उपल्बध करवायी गयी। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में मन कोर्स निदेशक यतीन्द्र कुमार, पुलिस निरीक्षक, आरपीए द्वारा इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकियों का परिचय व्यावहारिक और व्यावहारिक मेटा डेटा और हैश वैल्यू गणना, इंटरनेट से संबंधित कमांड वेबसाइट, यूआरएल, होस्टिंग, आईपी इत्यादि, सीडीआर और आईपीडीआर लॉग की अवधारणा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई ।

अगले सत्र में श्री मनोज रमन, साईबर एक्सपर्ट द्वारा ऑनलाईन कैशलेस ट्रॉजेक्सन के बारे मे जानकारी प्रदान कर डेबिट व क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट, भीम एप, पेटीएम व एटीएम आदि के बारे मे जानकारी प्रदान की गयी।

प्रशिक्षण के दूसरे दिवस प्रथम सत्र सभी प्रतिभागियों को एफ.एस.एल. जयपुर में ले जाया गया, जहां पर डॉ. विश्वास भारद्वाज, सहायक निदेशक साइबर, एफ.एस.एल. जयपुर द्वारा डिजिटल साक्ष्यों का संग्रह और संरक्षण आरपीए, एफटीके में फोरेंसिक उपकरण - हैशिंग और इमेजिंग और अन्य ओएसआईएनटी उपकरण के बारे मे जानकारी प्रदान की गयी। अगले सत्र में श्री सोनू सिंह, साईबर एक्सपर्ट द्वारा सोशल मीडिया जैसे वॉटसएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नेपचैट आदि के बारे में जानकारी प्रदान कर उनको उपयोग में लेकर हैण्डसऑन भी करवाया गया।

प्रशिक्षण के तृतीय व अंतिम दिवस के प्रथम सत्र में श्री उत्कर्ष द्विवेदी, अधिवक्ता , राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा प्रासंगिक आईटी एक्ट व आईपीसी के बारें में जानकारी प्रदान की गयी साथ ही केस स्टडी पर चर्चा की गई। व पुलिस अधिकारियो के साथ इन्टरएक्शन सेशन किया गया। अगले सत्र में मन कोर्स निदेशक ने साइबर क्राइम एफआईआर व रिपोर्ट में शामिल किये जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी दी गयी, थानों में साइबर क्राईम एफआईआर के अनुसंधान हेतु पुलिस एप्स जैसे सीसीटीएनएस, राजकॉप, आईसीजेएस आदि के साथ-साथ थानों में आवश्यक साइबर क्राईम अनुसंधान टूल्स की जानाकारी दी एवं साइबर क्राईम पीड़ितों की काउंसलिंग व एडवाइजरी के संबंध में बताया गया, साथ ही कुछ उल्लेखनीय साइबर क्राईम केसेज के अनुसंधान का अध्ययन करवाया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस दिनांक 06-07-2023 को प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया जाकर प्रशिक्षणोपरान्त सभी की पोस्ट प्रशिक्षण मूल्यांकन परीक्षा भी ली गयी। सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त प्रशिक्षण के दौरान पढाया गया तथा सीसीपीडब्ल्यूसी में उपलब्ध प्रशिक्षण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवायी गयी। कोर्स का समापन-समारोह अकादमी स्थित, सीसीपीडब्ल्यूसी लैब किया गया, जिसमें श्री गजेन्द्र सिंह जोधा, सहायक निदेशक (आउटडोर), राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा समापन उद्बोधन दिया गया व प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र व ग्रुप फोटो प्रदान किये गये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में मुझ कोर्स निदेशक द्वारा मुख्य अतिथि, प्रतिभागियों व कोर्स के संचालन में सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।